रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4068] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 12, 2018/आश्विन 20, 1940
No. 4068] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2018/ASVINA 20, 1940

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5259(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 5 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920(अ) के तहत 'सौर प्रकाशवोल्टीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किए गए थे जिनके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 तय की गई, और जबकि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख पहले अर्थात् 16 अप्रैल, 2018 कर दी गई अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-3 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणन देने की शर्त पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के का.आ. 1602(अ) के तहत, जो कि का.आ. 2183 को संशोधित कर अधिसूचित किया गया कि उक्त आदेश 30 मई, 2018 से प्रभावी होगा जिसके अंतर्गत अनुसूची में क्रम सं. 4-5 पर स्वतः प्रमाणन देने की शर्त लागू नहीं होगी।

2. यतः उद्योगों ने आदेश के अनुपालन के लिए और अधिक समय मांगा जबकि इससे संबंधित मुद्दों पर संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा की गई, स्व-प्रमाणन को 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 3449(अ) के माध्यम से 04 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया गया, मॉड्यूल विनिर्माताओं जिनकी मॉड्यूल उत्पादन क्षमता दो वर्ष तक बीआईएस पंजीकरण के लिए 50 मेगावाट से कम है, को छोड़कर बशर्ते उन्होंने 16.04.2018 से पहले एक वैध आईईसी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो और पहले स्थापित परियोजनाओं में उत्पादों के लिए प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो, जिसे 12 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित का.आ. 4787(अ) के आदेश में सूचीबद्ध सभी उत्पादों के लिए बाद में 20 सितम्बर, 2018 तक बढ़ाया गया।

3. यतः उद्योगों ने आदेश के अनुपालन के लिए और अधिक समय मांगा, जबकि इसमें शामिल मुद्दों पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित हितधारकों के साथ चर्चा की गई है, इस प्रकार यह अधिसूचित किया गया कि अनुबद्ध अनुसूची में प्रत्येक उत्पाद के सामने इंगित कार्यान्वयन की तिथियों के साथ आदेश के सुचारु कार्यान्वयन के लिए सभी मदों हेतु स्वतः प्रमाणन में छूट देने की तारीख को 20 सितम्बर, 2018 से 01 जनवरी, 2019 तक बढ़ा दिया गया है तथा दिनांक 05.09.2017 के मूल आदेश में क्रम सं. 4 के उपलब्ध सूचीबद्ध मानक आईएस 16221 (भाग-1) को इस आदेश में शामिल नहीं किया गया है।

4. परंतु क्रम सं. 1 से 3 के उत्पादों के मामले में विनिर्माताओं (विदेशी विनिर्माताओं और भारत में उनके भागीदारों/संपर्क कार्यालय) को 31.10.2018 तक अथवा उससे पहले भारत मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिए नमूने देने होंगे। क्रम सं. 4-5 में सूचीबद्ध इनवर्टर्स के मामले में वे विनिर्माता जिनके पास बीआईएस के समकक्ष वैध आईईसी है उन्हें अपने उत्पादों के के लिए प्रयोगशालाओं को परीक्षण के लिए नमूनों को दिए बिना स्वतः प्रमाणन की अनुमति होगी। चूंकि परीक्षण के लिए दिशानिर्देशों को अभी तैयार किया जाना है। इस तरह के मामले में स्वतः प्रमाणन आईईसी प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्टों के साथ संलग्न होना चाहिए। भंडारण बैटरी के मामले में (क्रम सं. 6) विनिर्माताओं द्वारा स्वतः प्रमाणन को 31.10.2018 तक परीक्षण प्रयोगशाला के लिए भेजे गए नमूनों के प्रमाण के साथ अनुमति दी जाएगी।

परंतु इसके अतिरिक्त आयातित सामग्री के मामले में जहाँ स्वतः प्रमाणन दिया जा रहा है, स्वतः प्रमाणन विनिर्माताओं द्वारा दिया जाएगा।

अनुसूची

क्र.सं.	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का स्तर	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	क्रिस्टलीय सिलिकॉन टेरेस्ट्रियल प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल (एसआई वेफर आधारित)	आईएस 14286 : 2010	क्रिस्टलीय सिलिकॉन टेरेस्ट्रियल प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल – डिजाइन, अर्हता एवं अनुमोदित प्रकार	1 जनवरी, 2019
2.	थिन-फिल्म टेरेस्ट्रियल प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल (ए-एसआई, सीआईजीएस और सीडीटीई)	आईएस 16077 : 2013	थिन-फिल्म टेरेस्ट्रियल प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल - डिजाइन, अर्हता एवं अनुमोदित प्रकार	1 जनवरी, 2019
3.	पीवी मॉड्यूल (एसआई वेफर और थिन फिल्म)	आईएस/आईईसी 61730 (पार्ट-1) : 2004 आईएस/आईईसी 61730 (पार्ट-2) : 2004	प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल सेफ्टी अर्हता पार्ट-1 निर्माण की आवश्यकता प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल सेफ्टी अर्हता पार्ट-2 परीक्षण की आवश्यकता	1 जनवरी, 2019 (बिना किसी अग्नि परीक्षण के)
4.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत तंत्र में प्रयुक्त होने वाले पावर इनवर्टर	आईएस 16221 (पार्ट-2) : 2015	प्रकाशवोल्टीय विद्युत तंत्र में प्रयुक्त होने वाले पावर कनवर्टर की सुरक्षा पार्ट-2 इनवर्टर के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं	1 जनवरी, 2019
5.	उपयोग – आइसलैंडिंग रोकथाम उपायों के साथ इंटरकनेक्टेड प्रकाशवोल्टीय इनवर्टर	आईएस 16169 : 2014	आइसलैंडिंग रोकथाम उपायों के साथ इंटरकनेक्टेड प्रकाशवोल्टीय इनवर्टर, की परीक्षण प्रक्रिया	1 जनवरी, 2019
6.	संचयित बैटरी	आईएस 16270	द्वितीयक सेल एवं बैटरी प्रकाशवोल्टीय, प्रयोग हेतु सामान्य आवश्यकताएं एवं परीक्षण की प्रक्रियाएं	1 जनवरी, 2019

[फा. सं. 223/140/2017-अनुसंधान और विकास समन्वय]

डॉ. बी. एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12 October 2018

S.O. 5259(E).—Whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017" *vide* S.O 2920(E) dated 5 September 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September, 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-3 in the schedule annexed to the order applicable till 30th June, 2018 published in Gazette of India notified on 16th April, 2018 vide S.O. 1602(E), which was revised vide S.O. 2183(E) published in Gazette of India on 30.05.2018 extending the self-certification relaxation for products at Sl. 4-5 also.

2. And whereas, the industry sought more time for compliance to the order and whereas the issues involved were discussed with related stakeholders, the self-certification was further extended to 4th September, 2018 vide S.O. 3449(E) published in Gazette of India on 13.07.2018 exempting module manufacturers whose annual module production capacity is less than 50MW for BIS registration for two years provided they have a valid IEC certificate obtained before 16/4/2018 and for products needed replacement in projects set up earlier, which was further extended to 20th September 2018 for all products listed in the order vide S.O No. 4787(E) published in Gazette of India on 12th September 2018.

3. And whereas, the industry has sought more time for compliance to the order and whereas the issues involved have been discussed with the stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS) and test labs recognized by the BIS, it is hereby notified that the date of self-certification relaxation stands extended to 1st January 2019 from 20th September, 2018 for all items with dates of implementation indicated against each product in the schedule annexed for smooth implementation of the order, with the standard IS 16221 (Part I) listed against item at Sl No. 4 in the principal order dated 5.09.2017 excluded from the order.

4. Provided in the case of products at Sl. No. 1-3 the manufacturers (in the case of foreign manufacturers their partners/liaison office in India) submitted samples to test labs recognized by BIS before or on 31.10.2018. In the case of inverters listed at Sl. No. 4-5, the manufacturers who have valid IEC corresponding to IS will be allowed self-certification for their products without submitting samples for testing to test labs as the series guidelines for testing are still being framed. In such a case the self-certification should be accompanied by the IEC certificate and test reports. In the case of storage battery (Sl. No. 6), the self-certification by manufacturers will be allowed with proof of samples submitted to test lab till 31.10.2018:

Provided further, that in case of imported material for which self-certification is being given, the self-certification may be given by the manufacturers.

SCHEDULE

Sl. No.	Product	Indian Standard Number	Title of Indian Standard	Date of Implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules (Si wafer based)	IS 14286 : 2010	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval	1st January, 2019
2.	Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules (a-Si, CiGs and CdTe)	IS 16077 : 2013	Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval	1st January, 2019

3.	PV Module (Si wafer and Thin film)	IS/IEC 61730 (Part 1) : 2004 IS/IEC 61730 (Part 2) : 2004	Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 1 Requirements for Construction Photovoltaic (PV) Module Safety Qualification Part 2 Requirements for Testing	1st January, 2019 (without fire test)
4.	Power Inverter for use in photovoltaic power system	IS 16221 (Part 2) :2015	Safety of Power Converters for Use in Photovoltaic Power Systems Part 2-Particular Requirements for Inverters	1st January, 2019
5.	Utility –Interconnected Photovoltaic inverters with islanding prevention measures	IS 16169: 2014	Test Procedure of Islanding Prevention Measures for Utility-Interconnected Photovoltaic Inverters	1st January, 2019
6.	Storage battery	IS 16270	Secondary Cells and Batteries for Solar Photovoltaic Application General-Requirements and Methods of Test	1st January, 2019

[F. No. 223/140/2017-R&D Coord.]

Dr. B. S. NEGI, Adviser/Scientist G, MNRE

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.12 22:52:20 +05'30'